RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 39 / 2025 **GCMS NO. 2025/156**

प्रार्थी–

1. श्री पारसराम पुत्र श्री गुणेशाराम जाति माली, निवासी धर्म कांटा के सामने, बांकिया बेरा, माताजी का थाना, जोधपुर, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री सरपंच, ग्राम पंचायत पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
2. श्री विजयराज पुत्र गुणेशाराम जाति माली, निवासी मदानियों का वास, पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
3. श्री भूराराम पुत्र गुणेशाराम जाति माली, निवासी सांखलों का वास चार खंभा, मगरा पूंजला जोधपुर, जिला जोधपुर।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 66 **दिनांक** 05.01.2011 **जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत** पचपदरा **द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं. 2, 3 स्वयं बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :20.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 66 दनांक 05.01.2011 के विरूद्ध दिनांक 10.09.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत मौजा पचपदरा में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 66 दिनांक 05.01.2011 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के

जिला कलक्टर
बालोतरा

संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 382.5 वर्ग गज दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 37.5 फीट आम रास्ता, बदिशा दक्षिण में 39 फीट व मोहनलाल मदाणी, पूर्व में 90 फीट व मदनलाल चौपड़ा एवं पश्चिम में 90 फीट व रामबाब अरोड़ा, आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी स्वयं दौराने बहस यह कथन किया कि यह है कि उक्त आलोच्य भूखण्ड गुणेशाराम के संयुक्त कब्जे का आवासीय परिसर ग्राम पंचायत पचपदरा की आबादी भूमि में अवस्थित है। उक्त आवासीय भूखण्ड करीब 90 गुणा 37 गुणा 30 फीट का स्थित है, जिसमें प्रार्थी के पिता गुणेशाराम अपने परिवार सहित रहवास करते थे, एवं उक्त कब्जे के परिसर में से 20 गुणा 18 गुणा 42 फीट नाप के भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 168 जारी दिनांक 16.08.1970 में प्रार्थी की माता सुन्दर के नाम से ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा जारी किया था। पट्टा संख्या 168 की धारक सुन्दर देवी का देहांत दिनांक 25.11.2003 को हो चूका था, माता सुन्दर की मृत्यु पश्चात उक्त पट्टासुद भुखण्ड का बंटवाड़ा स्व. सुन्दर के तीनों पुत्र अर्थात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य दिनांक 30.04.2007 को निष्पादित हुआ। पट्टा संख्या 168 जारी दिनांक 16.08.1970 के संबंध में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के मध्य निष्पादित बंटवाड़ा अनुरूप सम्पूर्ण भुखण्ड का आपसी सहमति अनुसार एक हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 का संयुक्त रूप से तथा दुसरा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का निर्धारित किया गया। इस प्रकार उक्त बंटवाड़ा आदेश की शर्तों का उल्लंघन कर अप्रार्थी संख्या 2 विजयराज ने छुपे तौर पर कूटरचान करते हुए पूर्व में जारी पट्टे के तथ्यों को छुपा कर उसी सम्पूर्ण भुखण्ड का नया पट्टा संख्या 66 अपने अकेले के नाम से दिनांक 12.01.2011 को जारी करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के साथ 2 ने मिली भगत करते हुए प्रार्थी के हक हिस्से के पैतृक संयुक्त परिसर को हड़प करने के उद्देश्य से अविधिक रूप से दिनांक 12.01.2011 को राजस्थान पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए निगरानीकर्ता को उसके कब्जे व हक हिस्से से वंचित करते हुए पूर्व में जारी पट्टा संख्या 168 के वैध एवं प्रभावी रहते हुए अपने नाम से पट्टा संख्या 66 जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 के बाध्यकारी प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना तथा संयुक्त पैतृक आवासीय परिसर के संबंध में पूर्व में जारी पट्टा संख्या 168 के वैध एवं एशादी रहते हुए अपने नाम से उसी परिसर का

जिला कलक्टर
बालोतरा

दुसरा पट्टा संख्या 66 जारी करवाया है। अपार्थीगण ने नियमों को ताक पर रख कर दिनांक 12.01.2011 को पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत 50 वर्षों से अधिक पूर्व निर्मित पुराने मकान पर कब्जा होने के आधार पर पंचायत में रसीद संख्या 3640 दिनांक 12.01.2011 को 200 रूपये शुल्क अदा कर उक्त पट्टा जारी करवाया है, जबकि तत्समय अप्रार्थी सं. 2 विजयराज स्वयं की आयु 40 वर्ष थी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जो पट्टा संख्या 66 दिनांक 12.01.2011 को जारी करवाया है, उसी परिसर का पूर्व में पट्टा उनकी माता स्व. सुन्दर देवी के नाम से दिनांक 16.08.1970 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया था, जो आज दिन तक वैध एवं प्रभावी है। इस प्रकार किसी भुखण्ड के पट्टा एक बार जारी होने के पश्चात उसी परिसर का दुसरा पट्टा जारी नहीं करवाया जा सकता है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा पट्टा संख्या 66 की पत्रावली/मिसल कायम करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान यदि वास्तविक मौका निरीक्षण व पंच रिपोर्ट बनती तो पैतृक संयुक्त परिसर की तत्समय भौतिक स्थति एवं संयुक्त पैतृक पुश्तैनी कब्जे के तथ्य पत्रावली पर अवश्य प्रकट होते एवं यह भी स्पष्ट हो जाता कि उक्त परिसर का पट्टा पूर्व में आवेदनकर्ता (अप्रार्थी सं० 2) की माता स्व. सुन्दर के नाम से जारी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 नाम से पट्टा संख्या 66 जारी करवाया है, जो खारीज योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरवाई जाकर उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2, 3 को जारी नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 2, 3 को इस प्रकरण के निगरानी में प्रार्थी द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2, 3 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थी के अधिवकता की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा मिसल संख्या 71 पर पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 04 के अनुसरण में फैसल दिनांक 05.01.2011 को आलौच्य पट्टा संख्या 66 दिनांक 05.01.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 66 नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है तथा उक्त आलोच्य पट्टा उक्त आलोच्य भूखण्ड पर जारी पट्टा पर पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत पचपदरा की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम

जिला कलक्टर
बालोतरा

पंचायत पचपदरा से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें मूल पट्टा में दर्ज दिनांक 17.10.2010 तथा आदेशिका में 20.10.2010 अंकित होना बताया गया, लेकिन दिनांक 17.10.2010 न तो ग्राम पंचायत की आदेशिका में अंकित है और न ही बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित होना पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा की जारी दिनांक मूल पट्टे में 05.01.2011 अंकित होना पाया गया, लेकिन आदेशिका में 05.11.2010 को जारी होना बताया गया। इसके अलावा उक्त आलोच्य पट्टा संकल्प संख्या 04 दिनांक 05.01.2011 की अनुपालना में दिनांक 12.01.2011 को जारी होना बताया गया, लेकिन दिनांक 05.01.2011 का इन्द्राज बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम पट्टा जारी होना नहीं बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन तथा पट्टा जारी करने का अंकन बैठक कार्यवाही रजिस्टर में इन्द्राज की पालना नहीं की गई है। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण मिसल एवं आदेशिकाएं कम्प्युटरकृत प्रारूप निकालकर उसमें खानापुर्ति करना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 66 दिनांक 05.01.2011 को जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पटटा संख्या 66 दिनांक 05.01.2011 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्म्त नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, बालोतरा
बालोतरा